संख्या– / XXIX-2 / 2024 / E- 73365

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः नवम्बर, 2024

विषयः राज्य सैक्टर (ग्रामीण/एस०सी०पी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर एवं खानपुर में हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–425/अप्रैजल अनु०/अप्रै० हैण्डपम्प/75, दिनांक 22 अगस्त, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर (ग्रामीण/एस०सी०पी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर एवं खानपुर में 36 नग इण्डिया मार्ग–II **(संलग्नकानुसार)** हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्यों हेतु कुल ₹ 84.69 लाख (₹ चौरासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पहले प्रत्येक हैण्डपम्प इकाई की जीआईएस मैपिंग/GEO, TAG अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय।

(ii) प्रत्येक गांव में हैण्डपम्प अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु स्थापित किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक गांव में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अनुसूचित जाति बसत के पास ही किया जायेगा।

(iv) संबंधित अधिशासी अभियन्ता हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जाति के परिवारों का विवरण सहित इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शासन/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायेंगे कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अनुसूचित जाति के बसत एवं परिवारों में ही किया गया है।

(v) योजना का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(vi) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति (नियोजन, धनांवटन तथा उपयोग अधिनियम, 2013) का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें से अधिक से अधिक लाभ अनुसूचित जाति के परिवारों/व्यक्तियों को प्राप्त हो अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम निगम की होगी।

(vii) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व पेयजल निगम का होगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(ix) हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन से पूर्व जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त की जाय।

(x) हैण्डपम्प लगाते समय यदि हैण्डपम्प में पानी नहीं निकलता है (ड्राई बोर) तो इसके स्थान पर नये प्रस्तावित स्थान का अनुमोदन भी जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

(xi) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(xii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(xiii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(xiv) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सके।

(xv) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xvi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xviii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्नकानुसार तालिका के कालम–3 में उल्लिखित ग्राम का नाम एवं ग्रामकोड का मिलान करने के उपरान्त ही हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि मिलान में ग्रामकोड और ग्राम के नाम में भिन्नता पाई जाती है तो उक्त कार्य को कराये जाने से पूर्व पुनः शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(xix) प्रश्नगत योजना से संबंधित विभागीय नियम/दिशा–निर्देशों तथा उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तद्विषयक अन्य नियम/दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए योजना के लक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति वर्ग को अधिकतम लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय, इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की होगी।

(xx) हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की वास्तविक आवश्यकता के होने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xxi) आगणन में दरों की युक्तियुक्ता सुनिश्चित करने एवं उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराने का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xxii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा अर्थात् Parking of Fund नहीं किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलापूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति–02–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन–00–55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या (आई०डी० संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–111469/09/(150)2019/

XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/252882/2024, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीया,

Signed by
Apurva Pandey
Date: 18-11-2024 11:11:00

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या– (1)/ XXIX-2/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Signed by आज्ञा से,
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 18-11-2024 11:48:09

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या– / XXIX-2 / 2024, दिनांक नवम्बर, 2024 का संलग्नक।

क्र० सं०	योजना का नाम	ग्राम कोड	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
01	02	03	04
1	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर एवं खानपुर में हैण्डपम्प अधिष्ठान का कार्य।	056861 Partappur	2
2		056830 Gangauli	4
3		056836 Akbarpur Ood	2
4		056829 Maheshri	4
5		056854 Dargapur	4
6		056792 Muktarbad	1
7		056858 Mahrajpur Kalan	2
8		056880 Mahtuli	2
9		056853 Netwala Saidabad	5
10		056806 Bukkanpur	2
11		056815 Sethpur	2
12		056897 Ruhalki	2
13		056918 Nyamatpur	2
14		056901 Sikamderpur	2
कुल योग			36